न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 229 / 2024

उनवान

1. ताजुदीन पुत्र छोटू खां जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. जहूर मोहम्मद
2. न्यामत खां पि. नूर मौहम्मद,
3. खातून पत्नी शफी मौ.,
4. मो. हबीब,
5. शब्बीर अली पि. शफी मौ. जाति देशवाली मुसलमान नि. रामसर, नसीराबाद,
6. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा, रामसर, नसीराबाद,
7. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 7 जरिये राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :— 5.12.25

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. रामसर के वंकिग खसरा नम्बर 6015 रकबा 5—1—0 के हाल खसरा नम्बर 8051 रकबा 0.79 की आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वज नूर मौहम्मद पुत्र हसन खां ने जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1976 को वादी को बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। किन्तु विक्रय पत्र की अधिकार अभिलेख में पालना नही होने के कारण भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी है। भूमि बदनियति से प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में रहन रख दी। आराजी मुतनाजा वादी को विक्रय करने के बाद भी राजस्व अभिलेख में भूमि वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी की जा रही है। साथ ही भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।
प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात [illegible] की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में [illegible] पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:38:54 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 6015 रकबा 5–1–0 की आराजी वादी न जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र. दिनांक 30.12.76 को नूर मौहम्मद पुत्र हसन खां से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। वंर्किग खसरा नम्बर भू संशोधन में खातेदारी था। जिसे वंर्किग जमाबंदी में विक्रेता नूर मौहम्मद पुत्र हसन खां के पुत्रो के नाम नियमन किया गया। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी नूर मौहम्मद पुत्र हसन खां के पुत्रो के नाम दर्ज की गयी। जबकि नूर मौहम्मद पुत्र हसन खां द्वारा पूर्व में ही उक्त आराजी का विक्रय वादी कोकिया जा चुका था। नामान्तकरण संख्या 189 दिनांक 16.11.77 को उक्त आराजी विक्रेता नूर मौहम्मद पुत्र हसन खां के स्थान पर वादी के नाम दर्ज कर दी गयी थी। अजमेर जिले में भू संशोधन की मान्यता समाप्त करने के कारण भूमि पुनः भू संशोधन जमाबंदी में दर्ज मूल खातेदार/वारिस के नाम नियमन की गयी। किन्तु प्रतिवादीण के पूर्वज द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया गया है। पटवारी हल्का रामसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.6.24 में भी भूमि वादी द्वारा विधिवत क्रय करना व पूर्व में नामान्तकरण वादी के पक्ष में होना माना है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा है। प्रतिवादीगण बावजुद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीद्वारा आराजी मुतनाजा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय की है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। उक्त आराजी विक्रय पत्र की पालना में वादीगण के नाम दर्ज होनी थी। आराजी मुतनाजा का कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में रहन है किन्तु भूमि वादी द्वारा पूर्व में ही क्रय की जा चुकी है। अतः खसरा नम्बर 8051 रकबा 0.79 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 6 का रहन अप्रभावी रहेगा। प्रतिवादी संख्या 6 अन्य आराजी से अपने ऋण की वसूली कर साकता है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः ग्राम व प.म. रामसर के हाल खसरा नम्बर 8051 रकबा 0.79 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:38:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

ताजूदीन बनाम जहूर मौहम्मद

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर —229 / 2024
पेश करने की दिनांक —4.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम व प.म. रामसर के हाल खसरा नम्बर 8051 रकबा 0.79 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 4 माह 2 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:38:54 IST
Reason: SelfAttested